

ख्या: 676 / सात लाई0-वी-86 / एम्आरपी (खण्ड-3) / 2025-26
प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक, अप्रैल, 07, 2025

विषय :- वित्तीय 2024-25 हेतु देशी मदिरा (36% v/v) टेद्रा 200 एम0एल0 पैक की थोक आपूर्ति दर एवं अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य (MRP) निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आयुक्तालय के पत्र संख्या 26796/सात लाई0-वी-86/एम्आरपी (खण्ड-3)/2025-26 देहरादून दिनांक मार्च, 29, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अग्रिम आदेशों तक के लिए देशी मदिरा (36% v/v) की थोक आपूर्ति दर एवं अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य (MRP) अस्थायी रूप से निर्धारित की गयी थी।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम-12.2 के क्रमांक 09 में सी0एल0-2 अनुज्ञापन का लाभ रू0 1.50 प्रति 200 एम0एल0 (36% v/v) निर्धारित किय गया है।

तदक्रम में आयुक्तालय के पत्र संख्या 26796/सात लाई0-वी-86/एम्आरपी (खण्ड-3)/2025-26 देहरादून दिनांक मार्च, 29, 2025 में उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम-12.2 के अनुसार निम्नवत आंशिक संशोधन करते हुये 200 एम्एल की धारिता के टेद्रा पैक की आपूर्ति दर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं राजस्व हित के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु थोक आपूर्ति दर एवं अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य (MRP) अस्थायी रूप से निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

Sr. No.	Particulars	(200ML) Tetra
1	Supply Rate	14.89
2	Excise Duty	1.80
3	Total (1+2)	16.69
4	VAT @10%	1.67
5	Total (3+4)	18.36
6	Cess @2%	0.37
7	Women Emp./Sports/Cow welfare	0.80
8	Billing Rate to CL-2 (5+6+7)	19.53
9	CL-2 Profit per Bottle (Q/P/N/T)	1.50
10	Total (8+9)	21.03
11	Pratifa	0.17
12	Billing Rate to CL-5 (10+11)	21.19
13	MGD @290/BL	58.00
14	Landed Cost to CL-5 (10+13)	79.03
15	Profit @20%	15.81
	MSP	85.35
16	Total (14+15)	94.83
17	CL MRP Rounded	95

कृपया उपरोक्तानुसार आगणन के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(प्रभाशंकर मिश्रा)
उप आबकारी आयुक्त,
कृते आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

677-83

संख्या: /सात लाई0-वी-86/एम०आर०पी० (खण्ड-3)/2023-24 देहरादून: तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी महोदय उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. उप आबकारी आयुक्त, आई०टी०, अनुभाग, मुख्यालय, देहरादून।
6. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।
7. समस्त देशी आपूर्तक इकाईयों, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।



(प्रभाशंकर मिश्रा)
उप आबकारी आयुक्त,
कृते आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।